म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/सीधी भरती/74/पार्ट-1/6251 भोपाल दिनांक 30.06.2021

//आदेश//

म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल बोर्ड की 136 वीं बैठक दिनांक 04.03.2021 के प्रस्ताव क्रमांक-07 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 17 (एक) में परिवीक्षा अवधि के संबंध में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :-

वर्तमान प्रावधान

विनियम 17 (एक)

''सेवा में रिक्त पद पर सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा ।''

प्रतिस्थापित प्रावधान

विनियम 17 (एक)

''सेवा में द्वतीय, तृतीय, एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।"

"परिवीक्षा अवधि में द्वतीय, तृतीय, एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वतीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा"।

यह संशोधन आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिस्थापित होगा।

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/सीधी भरती/74/पार्ट-1/6242 भोपाल दिनांक30.06.2021

प्रतिलिपि :-

1 विशेष सहायक माननीय कृषि मंत्री सह-अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल।

2 निज सचिव प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।

3 अपर संचालक/ मुख्य अभियंता/ संयुक्त संचालक/ अधीक्षण यंत्री/ उप संचालक/ कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4 संयुक्त/उप संचालक मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / सागर /जबलपुर / ग्वालियर / रीवा।

5 कार्यपालन यंत्री तकनीकी मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / सागर / जबलपुर / ग्वालियर /रीवा / होशंगाबाद / सिवनी / मुरैना / खरगौन / मंदसौर।

6 सूचना पटल/आदेश नस्ती/बोर्ड बैठक शाखा/पटल प्रभारी (समस्त) सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल